भारत में ट्रांसजेंडर के अधिकार

डॉ मधु श्री

सहायक प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
महिला महाविद्यालय, खगौल
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

सारांश - जिन्हें आमतौर पर हिजड़े के रूप में जाना जाता है, वे अपने बुनियादी मानवाधिकारों के लिए बहुत पहले से लड़ रहे हैं। भारतीय समाज विशेष रूप से प्राचीन काल से ट्रांसजेंडरों के साथ होने वाले कष्टों, अपमानों और भेदभावपूर्ण व्यवहार का गवाह रहा है। जहाँ मानव बिरादरी का एक वर्ग जीवन की सभी सुविधाओं से लैस है और चाँद पर अपना अगला घर बनाने की योजना बना रहा है, वहीं दूसरी ओर हिजड़ा समुदाय अभी भी एक सामान्य इंसान के रूप में अपनी पहचान के लिए रो रहा है। पूरे विश्व का तेजी से आर्थिक और सांस्कृतिक विकास दुनिया भर में ट्रांसजेंडर की स्थिति में कोई अंतर नहीं ला सका और यहां तक कि समकालीन समय में भी वे सामाजिक वरिष्ठों द्वारा पीड़ित हैं। भारतीय संविधान और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज सभी व्यक्तियों की समानता और उनके विभिन्न अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं। देश की शीर्ष अदालत ने NALSA बनाम UOII के मामले में भी ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी है। लेकिन यह कटु सत्य है कि दुर्व्यवहार, मारपीट, दुर्व्यवहार, यौन और अन्य उत्पीड़न बहुत ही सामान्य अपराध हैं जो आमतौर पर इन लोगों के साथ होते हैं। दुनिया भर के कई देश अब ट्रांसजेंडर मुद्दे पर संवेदनशील हो रहे हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून बना रहे हैं। अब समय आ गया है कि इस सामान्य मिथक को तोड़ा जाए कि मानव समाज केवल स्त्री और पुरुष के दोहरे ढांचे पर आधारित हो सकता है और हमें अपने सामाजिक ढांचे में ट्रांसजेंडर को समायोजित करना होगा।

मुख्य शब्द - ट्रांसजेंडर, संविधान, सरकार, अपराध आदि।

परिचय:

ट्रांसजेंडर शब्द लैटिन शब्द ट्रांस' और अंग्रेजी शब्द 'जेंडर' से लिया गया है। विभिन्न प्रकार के व्यक्ति इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं किसी विशेष प्रकार के यौन अभिविन्यास का अर्थ ट्रांसजेंडर शब्द से नहीं है। जिस तरह से वे व्यवहार करते हैं और कार्य करते हैं वह पुरुषों और महिलाओं की मानक लिंग भूमिका से भिन्न होता है। एक ट्रांसजेंडर के रूप में जीवन जीना आसान नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों को न तो पुरुष और ना ही महिला के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और यह विचलन समाज के विशाल बहुमत के लिए "अस्वीकार्य" है। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना तो और भी बुरा है।

हिजड़ा दक्षिण एशिया में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है - विशेष रूप से भारत में - एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए जो भारत में ट्रांससेक्सुअल या ट्रांसजेंडर है, हिजड़ा समुदाय चार हजार से अधिक वर्षों से मौजूद है और वर्तमान में इसकी संख्या आधा मिलियन है। शब्द "हिजड़ा" पुरुष महिला बाइनरी के लिए एक वैकल्पिक लिंग को दर्शाता है। हिजड़ा अवधारणा के तहत भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किया गया है।

उद्देश्य-

1. ट्रांसजेंडर द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को जानना
2.ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए सुधारों की समय रेखा को जानना
3. ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के विषयों को जानना
4.ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 से जुड़ी चुनौतियों को जानना

5.ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा पहल की जाने वाली योजनाओं को जानना वैसे सफल ट्रांसजेंडर व्यक्तित्व को जानना जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है।

शोध विधि-

शोध को वर्णनात्मक शोध विधि के आधार पर किया जाएगा। प्रस्तुत शोध हेतु तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक एवं स्रोत का उपयोग किया जाएगा प्रस्तुत शोध हेतु आंकड़ों का विश्लेषण के लिए गुणात्मक विश्लेषण सांख्यिकी तकनीकों के साथ मात्रात्मक विश्लेषण सांख्यिकी तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा।

साहित्यिक पुनरावलोकन-

हिंदी उपन्यासों में यह दीप के माध्यम से किन्नर समुदाय को लेकर विधिवत लेखन के कार्य की शुरुआत हुई जोकि नीरजा माधव द्वारा किन्नर जीवन पर रचित है

दीपशिखा किन्नर विमर्श 2021 में प्रकाशित पुस्तक निर्मला जी द्वारा रचित है। फ्रेंड्स अंडर द समर सन(2019) आशुतोष पाठक द्वारा लिखित और कनक शाही द्वारा चित्रित कथा का यह काम निम्मी नाम की एक बच्ची और उसके पड़ोसी के बीच दोस्ती के बारे में है जो एक पेशेवर बेकर है।

परिभाषा

अधिनियम के अनुसार ट्रांसजेंडर का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय उस व्यक्ति को सौंपे गए लिंग से मेल नहीं खाता है। इसमें इंटरसेक्स भिन्नता वाले ट्रांस-व्यक्ति, लिंग-क्वीर और किन्नर, हिजड़ा, आरवानी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल हैं।

भारत की 2011 की जनगणना देश के 'ट्रांस' आबादी की संख्या को शामिल करने के लिए अपने इतिहास में पहली जनगणना थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 4.8 मिलियन भारतीयों को ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाना गया है।

ट्रांसजेंडर द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

1) कानूनी संरक्षण का अभाव: वे हिरासत में हिंसा, राज्य द्वारा कर्तव्य की अवहेलना और शैक्षिक, आवासीय, चिकित्सा और रोजगार जैसे उनके मुद्दों के प्रति समग्र उदासीनता के अधीन हैं।

2) गरीबी: कानूनी सुरक्षा का अभाव ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बेरोजगारी में बदल जाता है। वे सेवाओं से वंचित हैं और बेरोजगारी, आवास असुरक्षा और हाशिए पर उच्च दर का अनुभव करते हैं।

3) उत्पीड़न और कलंक: उन्हें समाज से उपहास का सामना करना पड़ता है और उन्हें मानसिक रूप से बीमार, सामाजिक रूप से विचलित और यौन रूप से शिकारी माना जाता है।

4) ट्रांसजेंडर विरोधी हिंसा: उन्हें लैंगिक अनुरूपता, घृणा आधारित छद्म-मनोचिकित्सा, जबरन विवाह, कपड़े उतारना, शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें अपने ही परिवारों द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है।

5) स्वास्थ्य सेवा में बाधाएँ: बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल के लिए उनका जोखिम न्यूनतम है क्योंकि वे ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य देखभाल योग्यता की कमी वाले पेशेवरों के साथ चिकित्सा बिरादरी से उदासीनता के अधीन हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए सुधारों की समयरेखा

1) 2009 में, चुनाव आयोग द्वारा सभी प्रांतों को "अन्य" के विकल्प को शामिल करने के लिए पंजीकरण प्रपत्रों के प्रारूप में संशोधन करने के लिए उचित निर्देश जारी किए गए थे। इसने ट्रांससेक्सुअल लोगों को कॉलम पर टिक करने में सक्षम बनाया, यदि वे पुरुष या महिला के रूप में पहचाने नहीं जाना चाहते थे।

2) सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया (2014) ने उन्हें "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता दी। ऐतिहासिक फैसले में, न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन ने कहा कि "ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देना एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवाधिकार मुद्दा है"।

4) 2014 में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद तिरुचि शिवा द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को एक निजी सदस्य के विधेयक के रूप में पेश किया गया था, और अप्रैल 2015 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।

5) हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

1) भेदभाव के खिलाफ निषेध: विधेयक शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और सेवाओं तक पहुंच आदि के अवसरों के संबंध में ट्रांसजेंडरों के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

2) ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाने का अधिकार: प्रत्येक व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाने का अधिकार है। पहचान का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से प्राप्त करना होगा, जो जिला स्क्रीनिंग कमेटी के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करेगा।

अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (NCT) के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का आह्वान करता है।

3) निवास का अधिकार: किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ट्रांसजेंडर होने के आधार पर माता-पिता या तत्काल परिवार से अलग नहीं किया जाएगा।

4) स्वास्थ्य देखभाल: अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के अधिकार प्रदान करने का भी प्रयास करता है जिसमें अलग एचआईवी निगरानी केंद्र और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी शामिल हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी और उनके लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजनाएं प्रदान करेगी।

5) दंडात्मक प्रावधान: यह अपराधीकरण करता है: (i) भीख मांगना, जबरन या बंधुआ मजदूरी (ii) सार्वजनिक स्थान के उपयोग से इनकार करना; (iii) घर, गांव, आदि में निवास से वंचित करना; (iv) शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 से जुड़ी चुनौतियाँ

1) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है और अधिनियम में लिंग के स्व-निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

2) 2014 में NALSA के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर ट्रांसजेंडर व्यक्ति को आरक्षण देने पर अधिनियम चुप है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में ट्रांसजेंडर को आरक्षण देना चाहता है।

3) भीख ट्रांसजेंडर के लिए जीवन का एक तरीका है क्योंकि वे नाचते या गाते हैं और पैसे कमाते हैं। हालाँकि, अधिनियम उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए वैकल्पिक सकारात्मक कार्रवाई किए बिना भीख मांगने को अपराध बना देता है।

4) यह सिस-जेंडर लोगों की तुलना में ट्रांस लोगों पर भेदभाव और हमले के लिए हल्का परिणाम निर्धारित करता है, जो महिलाओं पर यौन हमले के लिए 7 साल की जेल की सजा निर्धारित करता है।

5) अधिनियम अधिकारों के साथ एक सशक्त विषय के बजाय ट्रांसजेंडर को पीड़ितों के रूप में मानता है।

6) शादी, तलाक और ट्रांसजेंडर व्यक्ति को गोद लेने के अधिकारों को मान्यता देने के बारे में स्थायी समिति की चिंताओं को दूर नहीं किया गया है।

7) अधिनियम अनुच्छेद 19 के तहत ट्रांसजेंडर के निवास की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि उन्हें या तो अपने माता-पिता के साथ रहना होगा या अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा अन्य पहल

1) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020:

नियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत बनाए गए हैं। नियम ट्रांसजेंडरों की पहचान को पहचानने और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, संपत्ति रखने या निपटाने, सार्वजनिक या निजी रखने के क्षेत्र में भेदभाव को प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं। कार्यालय और सार्वजनिक सेवाओं और लाभों तक पहुंच और उपयोग।

2) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल:

यह ट्रांसजेंडरों को देश में कहीं से भी प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा, इस प्रकार अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की शारीरिक बातचीत को रोका जा सकेगा। यह उन्हें आवेदन, अस्वीकृति, शिकायत निवारण आदि की स्थिति को ट्रैक करने में मदद करेगा जो प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के अनुरूप लॉन्च किया गया है।

3) गरिमा गृह:

नवंबर 2020 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आश्रय गृह, गरिमा गृह का उद्घाटन किया। 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह' की योजना में आश्रय सुविधा, भोजन, कपड़े, मनोरंजक सुविधाएं, कौशल विकास के अवसर, योग, शारीरिक फिटनेस, पुस्तकालय सुविधाएं, कानूनी सहायता, लिंग परिवर्तन और सर्जरी के लिए तकनीकी सलाह, ट्रांस-फ्रेंडली की क्षमता निर्माण शामिल हैं। संगठनों, रोजगार, आदि। यह योजना मंत्रालय द्वारा चिन्हित प्रत्येक घर में न्यूनतम 25 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का पुनर्वास करेगी। 13 शेल्टर होम स्थापित करने के लिए 10 शहरों की पहचान की गई है।

4) भारतीय जेलों में मान्यता:

जनवरी 2022 में, गृह मंत्रालय ने तीसरे लिंग के कैदियों की गोपनीयता, गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जेल प्रमुखों को एक एडवाइजरी भेजी थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2020 में देश भर की जेलों में 70 ट्रांसजेंडर कैदी थे। भारत में, जेल अधिनियम 1894 यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान (SOGI) के आधार पर यौन अल्पसंख्यकों को कैदियों के एक अलग वर्ग के रूप में मान्यता नहीं देता है। यह केवल कैदियों को महिलाओं, युवा अपराधियों, विचाराधीन कैदियों, दोषियों, सिविल कैदियों, बंदियों और उच्च सुरक्षा वाले कैदियों की श्रेणियों में अलग करता है।

सुझाव

1) ट्रांसजेंडर-समावेशी नीतियां: ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दों पर कानूनी और कानून प्रवर्तन प्रणालियों को सशक्त और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर के लिए समावेशी दृष्टिकोण की योजना बनाई जानी चाहिए और वह सरकार और समाज द्वारा अपनाई जानी चाहिए। नीतियों के निर्माण या निर्णय लेने में शामिल नहीं होने की उनकी शिकायत को दूर करने की जरूरत है और उनकी सार्वजनिक भागीदारी की संभावनाएं बढ़नी चाहिए।

2) सामाजिक सरोकारों को संबोधित करना: ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता, सहायक शिक्षा और सामाजिक पात्रता का प्रावधान जमीनी स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जैसा कि NALSA निर्णय द्वारा सुझाया गया है। सभी निजी और सार्वजनिक अस्पतालों और क्लीनिकों में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित अलग-अलग नीतियां बनाई जानी चाहिए और उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जागरूकता बढ़ाने और सम्मान और स्वीकृति की भावना पैदा करने की आवश्यकता है।

3) वित्तीय सुरक्षा: एक उद्यमी या व्यवसायी के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए उदार ऋण सुविधाएं और वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जेलों में ट्रांसजेंडर: यौन अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ट्रांस कैदियों के संदर्भ में सुधारों को संबोधित करने के लिए जागरूकता और प्रलेखन दो महत्वपूर्ण उपकरण हैं। जैसा कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) वकालत करता है, ट्रांसजेंडर कैदियों के इलाज के लिए लिंग-तरल दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एनएएलएसए के फैसले के आदेश का सम्मान करने के लिए, ट्रांस समुदाय के सदस्यों के साथ एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से, ट्रांस कैदियों की विशेष जरूरतों पर एक 'मॉडल नीति' लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीएचआरआई की सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए।

सफल ट्रांसजेंडर व्यक्तित्व-

इसमें कोई शक नहीं है कि आधुनिक भारत में भी ट्रांसजेंडर होना किसी अभिशाप की तरह ही देखा जाता है. उन्हें बचपन से समाज इतना असहज महसूस करा देता है कि वो ख़ुद को ही समाज से अलग कर लेते हैं. इसके अलावा,

बढ़ते जीवन के साथ उन्हें हीन भावना व उपहास का भी शिकार होना पड़ता है. इसके अलावा, अलग-अलग मज़ाकिया नामों से भी उन्हें संबोधित किया जाता है. इन सभी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ना सच में काफ़ी बहादुरी का काम है और ऐसा करने में कई भारतीय ट्रांसजेंडर सफल भी हुए हैं.

1. जोईता मंडल भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज हैं. इन्हें पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर (ज़िला उत्तर दिनाजपुर) में लोक अदालत जज के रूप में 2017 को नियुक्त किया गया था. उनके बारे में कहा जाता है कि ट्रांसजेंडरों की हक़ की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों के साथ काम करते-करते उन्हें लॉ की डिग्री पाने का विचार आया था.

2. भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अफ़सर

के पृथिका यशिनी हैं, जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब-इंस्पेक्टर हैं. पृथिका तमिलनाडु की रहने वाली हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चेन्नई में एक वॉर्डन के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने पुलिस में भर्ती होने के लिए अप्लाई किया और बन गईं सब-इंस्पेक्टर. कहते हैं कि जब उन्हें उनके पिता मंदिर या डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, तो उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था.

.3. पहली भारतीय ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल मानबी बंदोपाध्याय, जो कि भारत की पहली कॉलेज प्रिंसिपल रह चुकी हैं. इन्हें 2015 में कृष्णागर वीमेन'स कॉलेज (पश्चिम बंगाल) का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था. वर्तमान में ये एक प्रोफ़ेसर हैं. मानबी ने अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली हैं. वहीं, उन्होंने कई किताबें (गिफ्ट ऑफ़ गॉडेस लक्ष्मी) भी लिखी

4.राजनीति के क्षेत्र में भी आपको ट्रांसजेंडर दिख जाएंगे. शबनम मौसी वो पहली भारतीय ट्रांसजेंडर हैं, जो MLA की कुर्सी पर पहुंची. शबनम मौसी 1998 to 2003 तक मध्यप्रदेश विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं. उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कि है, बावजूद इसके वो 12 भाषाओं की जानकार हैं. पहली भारतीय ट्रांसजेंडर सैनिक शाबी पहली भारतीय ट्रांसजेंडर हैं जो सैनिक बनीं. उन्होंने 2010 में इंडियन नेवी मरीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज्वाइंन किया था. तब उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी. वहीं, बाद में उन्होंने ईस्टर्न नवल कमांड ज्वाइंन किया।

5.भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील सत्य श्री शर्मिला भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं. समाज की हीन भावन का सामना कर सत्य श्री ने क़ानून की पढ़ाई की और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए वकीन बनीं.

निष्कर्ष

उनके साथ समान, सम्मानपूर्वक और बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाना चाहिए। नौकरी के लिए आवेदन करने के अपने अधिकार, सार्वजनिक स्थान तक पहुंच, न्याय तक पहुंच के अपने अधिकार का प्रयोग करने में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ताओं का समूह होना चाहिए, जिनके पास ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़ा कोई भी मामला अदालत में पहुंचते ही भेजा जा सके। कार्यकर्ताओं के इस पैनल में ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए तय किए गए सामाजिक कार्यकर्ता और विषयों के कानून के माध्यम से वकीलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जबकि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समान अधिकारों की प्राप्ति के लिए मौजूदा कानूनों में सुधारों की आवश्यकता है और सुझाव दिए गए हैं, यदि ऐसे कानूनों के कार्यान्वयन में सुधार किए जाते हैं तो लक्ष्य को पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

संदर्भ सूची -

1.Preeti Sharma, "Historical Background and Legal Status of Third Gender In Indian Society", IJRESS, Vol.ED – 2 (12), December. 2012.

2. K.S. Radhakrishnan, J. In the supreme court of India Civil Original jurisdiction Writ petition (civil) No.400 of 2012 National legal services authority, j u d g m e n t 2013.

3. Laxmi Narayan Tripathy, In the Supreme Court of India at New Delhi Civil Original Jurisdiction i.a. No. of In writ petition
(Civil) P-400, 2013

4.TahminaHabib , "A Long Journey towards Social Inclusion: Initiatives of Social Workers for Hijra Population in Bangladesh" University of Gothenburg International Master's Programme in Social Work and Human Rights, 2012

5. भारत का संविधान

6. भारतीय दंड संहिता, 1860 3. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956
7. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956
8. ट्रांसजेंडर बिल 2014 का अधिकार
9. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016।
10. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2018